हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

जगदीश बनाम भूमिधारी तहसीलदार
दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड
मुकदमा नम्बर 239/2014

सही दर्ज है। वही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 414/भू.अ./2019 दिनांक 14.02.2019 के द्वारा प्रेषित जॉच रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 969 रकबा 2.40 हैक्टर की जमाबन्दी में दर्ज खातेदार "कन्हैया, जगदीश, रामेश्वर पिता गंगासहाय के गलत दर्ज होने तथा कन्हैयालाल पुत्र हनुमानप्रसाद पौत्र गंगासहाय, रामेश्वर पुत्र हनुमानप्रसाद पौत्र गंगासहाय, जगदीश पुत्र हनुमानप्रसाद पौत्र गंगासहाय सही होना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। जिसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कन्हैया, जगदीश, रामेश्वर पिता हनुमानप्रसाद पौत्र गंगासहाय के स्थान पर पिता का नाम हनुमानप्रसाद के स्थान पर गंगासहाय दर्ज रिकार्ड हो गया जो कि गलत है। जिसे गंगासहाय के स्थान पर हनुमानप्रसाद सही दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। जिसके आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्राकृतिक न्याय की भावना से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत उचित प्रतित होता है।

"आदेश"

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कचंनपुर तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 969 रकबा 2.40 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड खातेदारी जमाबन्दी में वादीगण नम्बर 1 ता 2 व वादीगण नम्बर 3 ता 5 के पिता/पति स्व0 कन्हैयालाल के पिता का नाम गंगासहाय की बजाय हनुमानप्रसाद सही किये जाने घोषणा की जाती है तथा इसमें दर्ज गंगासहाय का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। शेष इन्द्राज यथावत अंकित रखा जाता है।तदनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही करे। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.29 11:25:32 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

जगदीश बनाम भूमिधारी तहसीलदार
दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड
मुकदमा नम्बर 239/2014

अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant
Gupta
Date: 2020.09.29 11:25:32 IST
Reason: SelfAttested